रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235592
SG-DL-E-06052022-235592

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55
No. 267]	DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944	[N. C. T. D. No. 55

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2022

फा. सं. 1/डीईजी(15)/आरआर/2019/601.—भारत का राजपत्र असाधारण के भाग–[II] खण्ड–3 के उप खण्ड (i) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना का.आ. 3532 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 26 सितम्बर 1997 की अधिसूचना सं. फा. 9(183)/91–एसबी/21274 एवं दिनांक 15 जनवरी 2014 की सं. फा. 11(78)/2011–एसबी/आरआर/82 द्वारा अधिसूचित प्रोफेसर, कला महाविद्यालय के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के साथ प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कला महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–(i)** इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रोफेसर कला महाविद्यालय भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यता** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्तिः**–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **बचावः**– इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

अनुसूची–I

कॉलम सं.	**विवरण**	:	**सेवाएं विभाग द्वारा सहमत प्रावधान**
1.	**पदनाम**	:	**प्रोफेसर**
2.	**पदों की संख्या**	:	17 (2020)* अनुप्रयुक्त कला –6 पेंटिंग– 4 मूर्तिकला– 2 प्रिंट मेकिंग– 2 दृष्य संचार– 2 कला इतिहास–1 कुल – 17 * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	^ सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह (जीसीएस) ''क'' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर – 14 , प्रविष्टी वेतन– 1,44,200/–
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	पचास वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) 6(क) : निर्णायक विवरण : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा के विज्ञापन के अनुसार होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाल उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	<u>अनिवार्य :</u> (क) किसी मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से ललित कला की सुसंगत शाखा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्रथम श्रेणी सहित अथवा दो डिग्रियों में किसी एक में समकक्ष ख किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से ललित कला

			के सुसंगत क्षेत्र पीएचडी उपाधि; तथा ग पत्रिकाओं की अनुमोदित सूची एससीआई पत्रिका/यूजीसी/एआईसीटीई में कम से कम छः अनुसंधान प्रकाशन तथा पदोन्नति की पात्रता की तिथि तक पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम दो सफल पीएचडी मार्गदर्षन । अथवा पदोन्नति की पात्रता की तिथि तक पत्रिकाओं की अनुमोदित सूची एससीआई पत्रिका/यूजीसी/एआईसीटीई में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन । **टीप – 1** ललित कला की उचित आवश्यकता (अनुप्रयुक्त कला, पेंटिंग , मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग,दृष्य संचार ,कला इतिहास) प्रत्येक भर्ती के समय इंगित की जाएगी। **टीप – 2** यदि श्रेणी/डिविज़न नहीं दी गई है तो कुल योग में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविज़न के समकक्ष माना जाएगा। यदि कोई ग्रेड पाइंट प्रणाली अपनाई गई है, तो संचित ग्रेड पाइंट औसत (सीजीपीए) को समकक्ष अंकों में निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। **ग्रेड प्वाइंट** — **अंकों का प्रतिशत** 6.25 — 55 प्रतिशत 6.75 — 60 प्रतिशत 7.25 — 65 प्रतिशत 7.75 — 70 प्रतिशत 8.25 — 75 प्रतिशत **टीप–3** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–4** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **अनुभव :** अध्यापन/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 3 वर्ष का सहायक प्रोफेसर के समकक्ष पद पर होगा।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	एक वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा** **नोट–** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों से भरा जा सकता है। क. मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले । (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में

			प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को अट्ठावन (58) वर्षो से अधिक नहीं होंगी)।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय स्थाईकरण समिति) 1. मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार –**अध्यक्ष** 2. संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव–**सदस्य** 3 .निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी, शिक्षा विभाग –**सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. एलिस वाज, सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2022

F. No. 1/DEG-(15)/RR/2019/601.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home affairs notification number S.O. 3532 published in Part-II Sub section (i) of section 3, Gazette of Delhi Extraordinary dated 24th September, 1968, and in supersession of the recruitment rules for the post of Professor, College of Art notified vide notification No. F.9(183)/91-SB/21274 dated 26th September, 1997 and No. F.11(78)/2011-SB/RR/82 dated the 15th January,2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with prior consultation of UPSC is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Professor, College of Art under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:-(i)** These rules may be calledthe, Department of Training and Technical Education, Professor, College of Art Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: -** The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**: No person,

(a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:-Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving:-Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Annexure-I

Col. No	Description	Provision agreed to by the Services Department
1.	Name of the Post.	Professor
2.	No. of Post.	17 (2020) * Applied Art - 6 Painting - 4 Sculpture - 2 Print Making - 2 Visual Communication - 2 Art History - 1 **Total 17** *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service (GCS) Group 'A' Gazetted, Non -Ministerial.
4.	Level in Pay Matrix.	Level – 14, Entry Pay 144200/-.
5.	Whether selection or non selection post	Not Applicable.
6.	Age limit for Direct recruits	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions/order issued by the Central Government). **6(a) Crucial Description:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	**Essential:** a. Bachelors and Masters Degree in relevant branch of Fine Art from a recognized University/Institution with first class or equivalent in any one of the two degrees. **AND** b. Ph.D degree in the relevant field of Fine Art from a recognized University/Institution. **AND** c. At least total 6 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals/ UGC/AICTE approved list of journals and at least 2 successful Ph.D. guided as Supervisor/Co-supervisor till the date of eligibility of promotion. **OR** At least 10 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals/UGC/AICTE approved list of journals till the date of eligibility of promotion. **Note 1:** The exact requirement of Fine Art (Applied art, Painting, Sculpture, Print Making, Visual Communication and Art History) will be indicated at the time of each recruitment. **Note 2:** If a class/division is not awarded, minimum of 60 per cent marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade point system is adopted the CGPA will be converted to equivalent marks as below :- <table><tr><th>Grade point</th><th>Equivalent Percentage</th></tr><tr><td>6.25</td><td>55</td></tr><tr><td>6.75</td><td>60</td></tr><tr><td>7.25</td><td>65</td></tr><tr><td>7.75</td><td>70</td></tr></table>

		8.25 | 75 **Note 3:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 4:** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Experince:** Minimum of 10 years of experience in teaching/ research/Industry out of which at least 3 years shall be at a post equivalent to that of an Associate Professor.
8.	Whether age or educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees.	Not Applicable.
9.	Period of probation, if any.	One Year
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	100% by direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government/State Government/UTs: (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; and b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications).
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	Not Applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Departmental Confirmation Committee:** 1. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary of the concerned Department - Member 3. Director, Department of Training and Technical Education- Member
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission Necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.06 18:17:44 +05'30'